

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/5330 /
II-14-43/92

जबलपुर, दिनांक 12/12/2023

श्रीमती प्रीति गाडे, ए.ओ. (जे), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के नियम-31 असाधारण अवकाश (1) से (5) के अनुक्रम में (ब) (जब अन्य कोई अवकाश की पात्रता तो है, परन्तु सम्बन्धित कर्मचारी लिखित में असाधारण अवकाश की मांग करें) के अनुसार दिनांक 25.10.23 से 30.11.23 तक 37 दिन का असाधारण अवकाश (Extra-ordinary Leave) के स्वीकृत किया गया।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार


सही /—
(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/5331 /
II-14-43/92

जबलपुर, दिनांक 12/12/2023

प्रतिलिपि :—

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना / लेखा / पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक / सेवापुस्तिका / अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती प्रीति गाडे, ए.ओ. (जे), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(संदीप शर्मा)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)